विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में '**वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली**' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 31 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम/न आरोपण से सम्बन्धित ₹ 560.72 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 532.41 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 65.12 लाख की वसूली कर ली गई है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 1,68,213.75 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014–15 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,93,421.60 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 74,172.42 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 19,934.80 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 94,107.22 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 99,314.38 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 66,622.91 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 32,691.47 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का केवल 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1.1)

31 मार्च 2015 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्ष जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, वाहनों पर कर, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग, राज्य आबकारी और मनोरंजन कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व ₹ 26,837.24 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक से बकाया थे। कुल बकाये में से ₹ 3,910.30 करोड़ की वसूली भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी, ₹ 4,468.71 करोड़ माननीय न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों की कार्यवाही द्वारा रोके गये थे, ₹ 560.79 करोड की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी और ₹ 1,618.99 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी जबकि शेष ₹ 16,278.45 करोड़ के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही के बारे में सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत किये गये 10,899 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,813.44 करोड़ की धनराशि के 38,049 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जून 2015 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6)

हमने वर्ष 2014–15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 1,135 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 851.14 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 5,145 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 456 मामलों में ₹ 20.92 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें वर्ष 2014–15 के दौरान 349 प्रकरणों में ₹ 19.21 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 1.10)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु उद्घटित हुए:

- अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान–प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित और उन्हे पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.3.9.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद निस्तारित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2010–11 से 2014–15 के दौरान 6,042 से 1,84,052 वाद वर्ष के बाद के माहों में बकाये रह गये। इसके परिणामस्वरूप वादों के निस्तारण के लिए 2010–11 से 2014–15 के दौरान शासन को एक माह से लेकर तीन माह तक तीन बार समयावधि बढ़ानी पड़ी। इसने आने वाले वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित किया।

(प्रस्तर 2.3.12 एवं 2.3.13)

- 20 में से 4 जोनों में 2011–12 से 2014–15 के दौरान क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष, 0.27 से 0.44 प्रतिशत की अत्यन्त कम प्रतिशतता के मध्य व्यापारियों को टैक्स आडिट हेतु चयनित किया गया था एवं 2010–11 में कोई भी व्यापारी टैक्स आडिट हेतु चयनित नहीं किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों के कार्यालय, व्यवसाय के स्थान एवं गोदाम पर कोई भी टैक्स आडिट सम्पन्न नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.14)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के 23,786 व्यापारियों में से 3,102 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, मे से 34 व्यापारियों के मामलों में ₹ 6.98 करोड़ की आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितता यथा अनियमित/अदेय आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि के मामले थे।

(प्रस्तर 2.3.15)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 47,076 व्यापारियों में से 7,669 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 74 व्यापारियों के मामलों में कर की गलत दर लगाये जाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, कर निर्धारण में टर्नओवर का छूट जाना आदि के कारण ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.16)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से 8,556 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, मे से 82 व्यापारियों के मामलों में टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा होना, माल का बिना घोषणा पत्र के आयात किया जाना एवं मिथ्या घोषणा प्रस्तुत

करने के प्रकरण थे परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 114.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.3.17)

- आई0टी0सी0 के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गयी सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान ऑनलाइन व्यास प्रणाली में संव्यवहारों का शत–प्रतिशत सत्यापन सम्भव नहीं था क्योंकि केवल ₹ 50 लाख अथवा अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी ही इस प्रणाली में ई–रिटर्न दाखिल कर रहे थे।

(प्रस्तर 2.3.20)

- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की खण्डों की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी क्योंकि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 9 से 96 प्रतिशत की कमी रही। अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति 8,506 से बढ़कर 11,228 हो गयी और उस पर वसूली के बकाये की स्थिति ₹ 69.98 करोड़ से बढ़ कर ₹ 445.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.22.2 एवं 2.3.22.3)

82 वाणिज्यकर कार्यालयों के 11,425 व्यापारियों में से 108 मामलों में 2007–08 (वैट) से 2012–13 की अवधि मे अनुसूची में दी गयी सही दरों पर करारोपण न किये जाने के कारण ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड के साथ ₹ 7.23 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.5)

33 वाणिज्यकर कार्यालयों के 4,451 व्यापारियों में से 45 मामलों में 2008–09 से 2011–12 की अवधि मे टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा किये जाने एवं गलत खरीद पर ₹ 2.13 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

25 वाणिज्यकर कार्यालयों के 3,050 व्यापारियों में से 34 मामलों में 2008–09 से 2011–12 की अवधि मे निर्माताओं के माध्यम से कम प्रवेश कर वसूल किये जाने एवं क्रय पर प्रवेश कर की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 करोड़ के अर्थदण्ड के साथ ₹ 2.76 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.7)

20 वाणिज्यकर कार्यालयों के 2,598 व्यापारियों में से 30 मामलों में 1999–2000 से 2011–12 की अवधि में स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 5.31 करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.9)

26 वाणिज्यकर कार्यालयों के 3,603 व्यापारियों में से 32 मामलों में 2008–09 से 2011–12 की अवधि में त्रुटिपूर्ण/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) के मामलों की पहचान न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के आई0टी0सी0 का अनुत्क्रमण, अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10)

III. राज्य आबकारी

2014–15 के दौरान पाँच जि0आ0का0 के नमूना जाँच किये गये 69 प्रकरणों में से 65 में आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ₹ 88.03 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

जि0आ0का0 कानपुर में 2013–14 के दौरान आबकारी नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार मॉडल शॉप की लाइसेन्स फीस का निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मॉडल शॉप पर ₹ 35.95 लाख के लाइसेन्स फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.7)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

2014–15 के दौरान कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी में नगर परिवहन सेवा लिमिटेड के अन्तर्गत 464 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के नगर निगम सीमा के बाहर संचालित पाये जाने पर अतिरिक्त कर ₹ 30.36 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(प्रस्तर 4.6)

2014–15 के दौरान 72 सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में से 25 में बिना वैध स्वस्थता प्रमाणपत्रों के संचालित 5,820 वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण ₹ 2.69 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 4.7)

2014–15 के दौरान 72 सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में से 15 में 6,709 गैर परिवहन यानों के पंजीकरण का नवीनीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 40.25 लाख की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 4.8)

72 सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में से 47 में विभिन्न श्रेणियों के 1,786 अधिक भार लदे निरुद्ध वाहनों पर कैरिज बाइ रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 4.9)

2014–15 के दौरान तीन माह से अधिक अभ्यर्पित 245 वाहनों के मामलों में कर/अतिरिक्त कर ₹ 53.22 लाख वसूला नहीं गया।

(प्रस्तर 4.10)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

2014–15 के दौरान 331 उ0नि0का0 में से 98 में सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 7.78 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.5)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

2011–12 से 2014–15 के दौरान सात जि0म0क0का0 के 23 एम0एस0ओ0 में से 13 पर लोकल चैनलों के संचालन के लिये ₹ 9.41 करोड़ के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 6.4.8)

2012–13 से 2014–15 के दौरान 11 जि0म0क0का0 में सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार पर ₹ 17.94 करोड़ का मनोरंजन कर आरोपित नहीं हुआ।

(प्रस्तर 6.4.9)

2013–14 के दौरान जि0म0क0का0 आगरा में केबल संचालकों पर प्रति माह ₹100 प्रति संयोजन की दर से ₹ 3.56 करोड़ का मनोरंजन कर देय था। इसके विरुद्ध केबल संचालकों द्वारा मात्र ₹ 3.05 करोड़ जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप डीएएस प्रणाली पर ₹ 51.09 लाख की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 6.4.1.0 बुलेट 1)

नवम्बर 2009 एवं मार्च 2015 के मध्य आठ जि0म0क0का0 के 1,183 केबल संचालकों में से 96 से मनोरंजन कर ₹ 64.19 लाख की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 6.4.1.0 बुलेट 2)

वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिये 13 जि0म0क0का0 के 285 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों में से 207 पर लाइसेन्स फीस ₹ 46.98 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.4.15.1)

दो जिला खान कार्यालयों में सात पट्टाधारकों के सम्बन्ध में बिना खनन योजना के खनिजों को उत्खनित किये जाने के परिणामस्वरूप उत्खनित खनिजों के मूल्य ₹ 3.08 करोड़ की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 6.10)

2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिये 16 जि0खा0का0 में 1,430 ईंट भट्टा मालिको से रायल्टी, परमिट शुल्क ₹ 6.84 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.14)